



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में नाबालिग लडकी का अपहण करने वाले आरोपियों उमाशंकर व दीपक को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर क्रमशः हुआ 07 वर्ष व 05 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त उमाशंकर पुत्र अंगदबाबू निवासी कुन्दन गणेशपुर थाना जहानगंज जनपद फेतहगढ व दीपक पुत्र राममेहर निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा नाबालिग लडकी का अपहण करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 411/2019 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-05 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त उमाशंकर को दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त दीपक को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री नरेश वेदवान एडीजीसी जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कोट पैरोकार थाना दोघट



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा


दिनांक 07.02-2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 55 ग्राम अवैध चरस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 55 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

युनुस पुत्र शौकत अली निवासी मौहल्ला मुन्नानगर कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 55 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-उ0नि0 यूटी सुजित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-इ0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत।

4-का0 701 शोकेन्द्र नागर थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 07.02.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध शराब तस्करो को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 45/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अली मोहम्मद पुत्र यासीन निवासी मुन्ना नगर कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

48 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2. है0न0 177 अशोक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



3.रि0का0 04 रवि कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट


दिनांक-07.02.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सौरभ उर्फ भोलू पुत्र स्व0 देवेन्द्र कुमार निवासी ग्राम धनौरा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

● एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-है0का0 96 संजय पूनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

